न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ
(कैम्प निम्बाहेड़ा राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 149 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 09.06.2016

1. बाबरू पिता खेमा जाति भील निवासी भागल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. जानीबाई पत्नि कनीराम जाति भील निवासी भागल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. नारूलाल पिता कनीराम जाति भील निवासी भागल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. लालुराम पिता कनीराम जाति भील निवासी भागल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. प्रेमचन्द पिता कनीराम जाति भील निवासी भागल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. भगवानीबाई पत्नि धन्ना जाति भील निवासी जन्तई तहसील बडी सादडी जिला चित्तौड़गढ़
2. रामी बाई पत्नि प्रभुलाल जाति भील निवासी डेलवास तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
बमिसल क्रमांक 171/2004 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.01.2013

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. घनश्याम शर्मा – रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2

निर्णय **दिनांक 25.03.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पिता गणेश पुत्र नवला भील निवासी भागल तहसील निम्बाहेडा के कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा बिनोता के खाता सं. 82 की आराजी नम्बर 1102 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 1103 रकबा 17 बिस्वा आराजी नम्बर 1104 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा चाह

नम्बर 1769/1104 से सिंचित आराजी नम्बर 1769/1105 रकबा 8 बिस्वा आराजी नम्बर 1770/1108 रकबा 14 बिस्वा आराजी नम्बर 1706/1101 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा मौजा बिनोता मे स्थित है। आराजी नम्बर 12 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा मौजा भागल मे स्थित है।

रेस्पोडेन्ट वादीगण के पिता की मृत्यु संवत् 2040 मे हुई उस समय उनके कोई पुत्र नही था। पत्नि व पुत्रियां अशिक्षित थी। रेस्पोडेन्ट वादीगण के पिता गणेश के मरने के बाद मृतक की पत्नि हीरीबाई को बताया व जमीन का नामान्तकरण तुम्हारे व तुम्हारी बेटियों के नाम खोल दिया है। पटवारी व ग्राम पंचायत ने बदनियती पूर्वक दस्तावेज तैयार कर दस्तावेजो मे कनीराम को गोदी पुत्र बताते हुए एवं बाबरू का मौके पर कब्जा बताते हुए हीरीबाई की सहमति दर्शाते हुए गणेश की खाते की जमीन पर कनीराम व बाबरू का नाम अंकित कर दिया और गणेश की पुत्रियो रेस्पोडेन्टगण वादीगण का नाम हटा दिया। रेस्पाडेन्टगण वादीगण को इस बात की जानकारी दिनांक 18.06.2003 को जब अपने खेत पर फसल बोने गई तो अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने कब्जा करना चाहा और कहा कि जमीन हमारी है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने खाते की नकल प्राप्त की तो उससे पता चला कि इन्तकाल नम्बर 1721 व इन्तकाल नम्बर 95 दिनांक 08.01.2002 के माध्यम से ग्राम पंचायत व पटवारी ने मिलकर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर रेस्पोडेन्टगण वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के नाम इन्तकाल खोल दिया। जिस पर दिनांक 20.06.2003 को नामान्तकरण निरस्त करने बाबत् अपील प्रस्तुत की। हीरी बाई की मृत्यु के पश्चात् नामान्तकरण पर उसकी पुत्रियां रेस्पोडेन्टगण वादीगण के नाम इन्तकाल खोल दिया। दिनांक 02.07.2004 को रेस्पोडेन्टगण वादीगण अपने पिता की उपरोक्त आराजीयात को बोने गये तो अपीलान्टगण प्रतिवादीगण लडाई–झगडा करने पर आमादा हो गये। रेस्पोडेन्टगण वादीगण द्वारा पिता की आराजीयात की नकल दिनांक 03.07.2004 को प्राप्त की। इस प्रकार ग्राम पंचायत और पटवारी हल्का द्वारा खोला गया इन्तकाल अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के पक्ष मे विधिविरूद्ध एवं छल कपट पूर्वक किया गया दस्तावेजी नामान्तकरण शून्य व निरस्त योग्य है। कनीराम के वारिसान जो अपीलान्ट प्रतिवादीगण है उनको रेस्पोडेन्टगण वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण को उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर अपनी खातेदारी घोषित कराने का अधिकार है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण वादीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल कर आधिपत्य जमाना चाहते है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी को किसी को हस्तान्तरित नही करे। इस हेतु उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है। जिससे वादपत्र घोषणात्मक डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत होने पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से

जवाबदावा प्रस्तुत हुआ व प्रतिवादी सं. 2, 4, 5 को बावजूद सूचना तामील होना मानते हुए उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति वकील प्रतिवादीगण अपीलान्टगण को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण वादीगण अस्वीकार किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की गई व उक्त तनकियात पर रेस्पोडेन्टगण वादीगण की साक्ष्य ली गई व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्रस्तुत नही होना मानते हुए साक्ष्य प्रतिवादीगण अपीलान्टगण बन्द की जाकर प्रकरण मे उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया। व उक्त कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण का हक व हिस्सा भगवानी, रामी व कारीबाई का 1/3, 1/3 हक व हिस्सा घोषित कर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2013 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे दिनांक 16.06.2016 को प्रथम अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने से अपील के साथ धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपीलान्ट नारूलाल के साथ प्रस्तुत किया गया।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर आक्षेपाधीन पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट ने अपील के साथ अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने से धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। व प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य अंकित किये गये कि अपीलान्टगण की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अधिवक्ता के जरिये पैरवी की जा रही थी व अधिवक्ता ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की किसी प्रकार से कोई जानकारी अपीलान्टगण को नही दी गई थी। जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.06.2016 को पटवारी हल्का से हुई तत्पश्चात् दिनांक 08.06.2016 को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त की जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2013 से दिनांक 03.06.2016 तक के विलम्ब को जानकारी के अभाव मे क्षम्य किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने म्याद के बिन्दु पर आपत्ति करते हुए न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2001 पार्ट–8 पेज 258, आरबीजे 1999 पार्ट–6 पेज 292

प्रस्तुत किया। व निवेदन किया कि अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को होते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने जान बुझकर अपील विलम्ब से पेश की है। जिससे अपीलान्ट की अपील म्याद के बिन्दु पर निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अपने वाद मे यह तथ्य अंकित किये है कि विवादित कृषि आराजीयात स्वर्गीय गणेश की थी। गणेश भील के कनीराम गोदी पुत्र रहा हैं व हीरी बाई वैध पत्नि रही है। गणेश की मृत्यु 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है। गणेश के मरने के बाद विवादित आराजीयात गणेश की पत्नि हीरीबाई कनीराम व बाबरू के नाम पर दर्ज की गई। जिसको 40 साल हो चुका है। व 40 वर्षो से विवादित कृषि आराजीयात हीरीबाई कनीराम व बाबरू के नाम दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। हीरीबाई की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नही की जाकर हीरीबाई की पुत्रियां रेस्पोडेन्टगण वादीगण व कारीबाई के नाम दर्ज की गई। राजस्व रेकार्ड मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण का नाम गलत रूप से दर्ज होने से रेस्पोडेन्टगण वादीगण व कारीबाई जो कि प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार मुकदमा थी। उसे पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसको अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने नजर अदांज कर वाद पत्र डिक्री किया गया है। बहस मे यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण वादीगण हीरीबाई की विवाहिता पुत्रियां है जो गणेश के जीवनकाल से अपने–अपने ससुराल मे अपने पति के परिवार के साथ निवास करती चली आ रही है। विवादित कृषि आराजीयात पर रेस्पोडेन्टगण वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। हीरीबाई की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्टगण वादीगण व कारीबाई का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो जाने का दुरूपयोग कर गलत वादपत्र प्रुस्तत हुआ है। प्रकरण मे कारीबाई आवश्यक पक्षकार मुकदमा थी। फिर उसे व राज्य सरकार को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर वादपत्र प्रस्तुत हुआ। जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है। व प्रकरण मे कारीबाई पक्षकार मुकदमा नही होते हुए उसे भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना दाद के 1/3 हक व हिस्से की घोषणात्मक डिक्री पारित की है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को वैध ठहराते हुए न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1995 पेज 448 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण प्रतिवादीगण स्वर्गीय गणेश का गोद पुत्र होने के आधार पर अपील लेकर आया है जिसको यह दाद सक्षम न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकती है। अपीलान्टगण हीरीबाई के साथ अपना नाम गोद पुत्र की हैसियत से दर्ज करवाया है जो गलत था व रेस्पोडेन्टगण वादीगण स्वर्गीय गणेश की जायन्दा पुत्रियां होने से व विवादित कृषि आराजीयात गणेश की होने से व यह तथ्य अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यो से प्रमाणित होना मानते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने मे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की है। अपीलान्टण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। व यह तथ्य भी अंकित किया है कि विवादित कृषि आराजीयात गणेश पिता नवला भील के खातेदारी की थी जो विरासत से गणेश की वैध पत्नि हीरीबाई व कनीराम व बाबरू के नाम जरिये विरासत दर्ज की गई। जिसका नामान्तकरण सं. 1129 व नामान्तकरण सं. 95 से स्वीकृत हुआ है। उक्त नामान्तकरण दिनांक 20.08.1985 को स्वीकृत हुआ है। व रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने उक्त नामान्तकरण की अपील करना भी अपने वादपत्र मे अंकित किया है। परन्तु उक्त अपील का क्या निर्णय हुआ वादपत्र मे कही स्पष्ट नही किया है। इसी के साथ रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने स्वर्गीय गणेश की तीन पुत्रियां रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 वादीगण व कारीबाई होना अंकित किया है। कारीबाई को प्रकरण मे पक्षकार कायम नही किया है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे मे कारीबाई पक्षकार नही होने की आपत्ति अंकित की है। व घोषणा के वादपत्र मे राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। जिसको भी पक्षकार मुकदमा कायम किया जाना नही पाया जाता है। व अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बगैर रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र डिक्री किया है। व अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो की प्लीडिंग के अनुसार वादपत्र मे दिनांक 20.10.2009 को तनकियात कायम की गई परन्तु अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 की पालना मे तनकीवार निर्णय पारित नही किया है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री सहवनीय नही होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 171/2004 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2013 निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादपत्र मे कारीबाई जो कि स्वर्गीय गणेश की जायन्दा पुत्री है व राज्य सरकार जो आवश्यक पक्षकार मुकदमा है को पक्षकार मुकदमा कायम कर उक्त प्रतिवादीगणो का जवाबदावा रेकार्ड पर लिया जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य व सबुत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना करते हुए तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को कैम्प कोर्ट निम्बाहेडा मे खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ